बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 24 जून, 2008

संख्या–3/एम– –166/2006 का॰ 4033/भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1)यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के उप नियम(2) में एक परन्तुक को अंतः स्थापित किया जाना।**–उक्त नियमावली, में, नियम–17 के उप नियम (2) में 'स्पष्टीकरण' के पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगाः–

"परन्तु जहाँ जाँच प्राधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त की नियुक्ति की गई हो वहाँ विभागीय जाँच आयुक्त या तो स्वयं जाँच करेंगे या जाँच का कार्य अपर विभागीय जाँच आयुक्त को हस्तांतरित कर सकेंगे । जाँच के ऐसे हस्तांतरित मामले में अपर विभागीय जाँच आयुक्त जाँच–प्रतिवेदन सहित जाँच–अभिलेख सीधे अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेंगे ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/6/08

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–166/2006 का. 4033/पटना–15 दिनांक 24 जून, 2008.

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलज़ार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500(पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

24/6/08

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 3/एम0–166/2006 का. 4033/पटना–15 दिनांक 24 जून, 2008.

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषि।

24/6/08

सरकार के उप सचिव ।

Rawat Jee\Notification of Bihar Govt Servant Appeal.doc